Seventeenth Series, Vol. XXVI No.17

Friday, August 11, 2023
Sravana 20, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXVI contains Nos.11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Pankaj Kumar Singh

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 17, Friday, August 11, 2023/ Sravana 20, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 321	7
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 322 to 340	8-76
Unstarred Question Nos. 3681 to 3910	77-716

PAPERS LAID ON THE TABLE 717-729

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 730-731

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 732

GOVERNMENT BILLS – Introduced 733-761

(i) Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 733

(ii) Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 734

(iii) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 735

(iv) Bharatiya Sakshya Bill, 2023 736

(v) Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 737-751

MATTERS UNDER RULE 377 752-761

(i) Regarding fixation of MSP for mangoes

Dr. A. Chellakumar 752-753

(ii) Need to establish ethical guidelines and legal framework in the deployment of Artificial Intelligence

Shri Hibi Eden 754

(iii) Regarding sanctioning of fly ash by NLC India Limited under CSR activities to Perambular Parliamentary Constituency for manufacturing fly ash bricks for construction of houses under PMAY-G

Dr. T. R. Paarivendhar 755-756

(iv) Regarding alignment of Thoppur Ghat stretch in Dharmapur to Salem Section of NH No. 44 in Tamil Nadu

Dr. DNV Senthilkumar S. 757

(v)	Regarding high price of LPG cylinder refills and promotion of other clean energy resources for cooking **Shri Lavu Srikrishna Devarayalu**	758
(vi)	Regarding climate change **Shri Rahul Ramesh Shewale**	759
(vii)	Need to remove income ceiling for SCs/STs for availing the benefits of Government Scheme **Shri Girish Chandra**	760
(viii)	Regarding steps taken to address the problem of shortage of drinking water in Samastipur and Darbhanga **Shri Prince Raj**	761

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023 762-763

Motion to Consider 762

Shrimati Nirmala Sitharaman 762

Clauses 2 to 5 and 1 762

Motion to Pass 763

INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023 764-765

Motion to Consider 764

Shrimati Nirmala Sitharaman 764

Clauses 2 to 5 and 1 764

Motion to Pass 764-765

VALEDICTORY REFERENCE 766-767

NATIONAL SONG 768

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 751

Member-wise Index to Unstarred Questions 752-757

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 758

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 759

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 11, 2023/ Sravana 20, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, यह क्या हो रहा है?… (व्यवधान) आपने हमारे लीडर को सस्पेंड किया ।… (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं थी ।… (व्यवधान) सर, उन्होंने हमेशा आपके साथ कोआपरेट किया है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नारणभाई काछड़िया।

… (व्यवधान)

<u>11.01 hrs</u>

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या, 321, श्री नारणभाई काछड़िया।

(Q. 321)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) : महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 322 to 340
Unstarred Question Nos. 3681 to 3910)
(Page No. 8 to 716)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9977/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-3, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9978/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ई-अपशिष्ट (प्रबंध) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9979/17/23]

(2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9980/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-5, श्री अजय मिश्रा जी।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकद परिवहन क्रियाकलापों को प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2020 जो 8 दिसम्बर, 2020 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 282305-एच।।।(तीन)-2020/13037 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9981/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-6, श्री पंकज चौधरी जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 2436(अ) जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रयोजनार्थ अपर सेशन न्यायाधीश–03, दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका दिल्ली के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/130 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/131 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/132 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/134 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं.

सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9982/17/23]

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 506(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 507(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.385(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 508(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में प्रमुख व्यवसाय स्थल वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जून, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 509(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 510(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1600(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 511(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 512(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 513(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.250(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 3192(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9983/17/23]

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम, जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं पर ऐसे उपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9984/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-7, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9985/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9986/17/23]

(7) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9987/17/23]

(9) (एक) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9988/17/23]

(11) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9989/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the National Medical Commission Act, 2019:-

(i) The Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2022, published in Notification No. F.No. U-11022/4/2022-UGMEB in Gazette of India dated 14th December, 2022.

(ii) The Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, (Amendment), 2023, published in Notification No. C-19011/06/2022/NMC/Coord. in Gazette of India dated 3rd March, 2023.

(iii) The Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023, published in Notification No. R/15021/04/2022-EMRB-Reg. in Gazette of India dated 12th May, 2023.

(iv) The Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulations, 2023, published in Notification No. M-27011/01/2023-MARB in Gazette of India dated 2nd June, 2023.

(v) The Graduate Medical Education Regulations, 2023, published in Notification No. U-14021-8-2023-UGMEB in

Gazette of India dated 2nd June, 2023 together with a corrigendum thereto published in Notification No. U-14021-8-2023-UGMEB dated 19th June, 2023.

(vi) The NMC, National Exit Test Regulations, 2023 published in Notification No. F.NO. CDN-19012/15/2022/Coord.-NMC in Gazette of India dated 28th June, 2023.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) and (ii) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9990/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8 ए , श्री बी.एल. वर्मा जी ।

… (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9990A /17/23]

12.04 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 9^{th} August, 2023 agreed without any amendment to the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7^{th} August, 2023."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10^{th} August, 2023 agreed without any amendment to the Pharmacy (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7^{th} August, 2023."

(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 4^{th} August, 2023 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

"That this House resolves that the Rajya Sabha join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the

Committee, and proceed to elect, in such manner as directed by the Chairman, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following ten Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shrimati Geeta *alias* Chandraprabha
3. Shri Rajendra Gehlot
4. Shri Narayana Koragappa
5. Shri Manas Ranjan Mangaraj
6. Shri Shambhu Sharan Patel
7. Shri Subhas Chandra Bose Pilli
8. Shri Sakaldeep Rajbhar
9. Dr. V. Sivadasan
10. Shri Harnath Singh Yadav

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-10.

12.05 hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय सभापति : माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 10 अगस्त, 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:-

1.	श्री ए. एच. खान चौधरी	10.02.2023 से 13.02.23 और 13.03.2023 से 06.04.2023
2.	श्री देवजी एम. पटेल	20.07.2023 से 05.08.2023
3.	श्री संजय शामराव धोत्रे	20.07.2023 से 11.08.2023
4.	श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	20.07.2023 से 11.08.2023
5.	श्री मोहम्मद अकबर लोन	20.07.2023 से 11.08.2023
6.	सुश्री मिमी चक्रवर्ती	20.07.2023 से 11.08.2023

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

माननीय सभापति : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-11, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

… (व्यवधान)

12.06 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce# the Bill.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-12, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

… (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.8.2023

Introduced with the recommendation of the President.

12.06½ hrs

(ii) Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> “कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce# the Bill.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.8.2023.

Introduced with the recommendation of the President.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 12 ए - श्री अमित शाह जी।

12.30½ hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced- countd….

(iii) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023*

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों से संबंधित उपबंधों को समेकित और संशोधित करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषांगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अपराधों से संबंधित उपबंधों को समेकित और संशोधित करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषांगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सदन चल रहा है, सारे सांसदों का निलम्बन किया जा रहा है।… (व्यवधान)

महोदय, हम वॉक-आउट करते हैं।… (व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.8.2023

12.31 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members left the House.

12.32 hrs

(iv) Bharatiya Sakshya Bill, 2023*

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.8.2023

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 12 बी - श्री अमित शाह जी।

12.33 hrs

(v) Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023*

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज, 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्य तिथि है। मैं पूरे सदन के सामने शीश झुका कर उनको नमन करना चाहता हूं और उनकी स्मृति से प्रेरित होकर युगों-युगों के लिए जो युवा देश के लिए काम करेंगे, महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का जीवन उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, इसका मुझे विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। आज के ही दिन दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय संघ एक प्रकार से सम्पूर्ण राष्ट्र बना था।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं यह तीन विधेयक लेकर आया हूं, उस वक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय है। 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आज़ादी की 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप से महान भारत की रचना करेगी।

महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए पाँच प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 11.8.2023

माननीय अध्यक्ष जी, ये पाँच प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे, हमारे मन से उस बोझ को दूर कर देंगे।

महोदय, आज मैं तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। वे तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो पाँच प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक, दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मूलभूत कानून इन 3 विधेयकों के अंदर हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, जो सन् 1860 में बनाया गया। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, जो सन् 1898 में बनाया गया। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सन् 1872 में बनाया गया है। ये तीनों कानून सन् 1860, 1898 और सन् 1872 में अंग्रेज़ों की संसद द्वारा पारित किए गए। इन तीनों पुराने कानूनों को समाप्त कर के तीन नए कानून पुर:स्थापित करने के लिए मैं सदन में आया हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, अब इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रस्थापित होगी। जो कानून रिपील होंगे, उन कानूनों की जो आत्मा है, उन कानूनों का मध्य बिंदु यह था कि अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने की दृष्टि से वे कानून बनाए गए थे। अंग्रेज़ी शासन की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। उसका उद्देश्य दण्ड देने का था, न्याय देने का नहीं था। इन तीनों मूलभूत चीज़ों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करने के बाद इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी – भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दण्ड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। न्याय देने की प्रक्रिया में दण्ड वहीं होगा, जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। मैं इन तीनों कानूनों के बारे में आगे बताता हूँ। मैं बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में शामिल रहा हूँ। सन् 1860 से ले कर वर्ष 2023 तक अंग्रेज़ और

अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट के बनाए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूँ कि इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीनों कानून अब प्रस्थापित होंगे और हमारे क्रिमनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बिल स्टैंडिंग कमिटी को भेजने वाला हूँ। इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इन कानूनों को पढ़ा होगा, उन्होंने समझा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानव की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानूनी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानूनों में इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारियों पर हमला था। यह जो एप्रोच थी, उसको हम बदल रहे हैं। नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर – महिलाओं और बालकों के साथ अपराध का आएगा। दूसरा चैप्टर - मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं, उसका आएगा। इस तरह से हम शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर के कानून ले कर आए हैं।

मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने वर्ष 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए जितने भी कानून, जिस विभाग में हैं, सभी कानूनों पर पर्याप्त चर्चा और सोच-विचार कर के इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से यह प्रक्रिया चालू हुई थी।

मान्यवर, इसके लिए ढेर सारी कन्सल्टेशन की प्रक्रिया हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह पर व्यापक कन्सल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायधीशों को पत्र लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवसिर्टीज को पत्र लिखा था। वर्ष 2020 में थोड़ा बेस बनने के बाद मैंने सारे सांसदों को पत्र लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश

के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कन्सल्टेशंस के बाद यह प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है। बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलीमथ समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामले की स्थायी संसदीय समिति के वर्ष 2011, वर्ष 2005 और वर्ष 2006 की 111वीं रिपोर्ट, 110वीं रिपोर्ट, 146वीं रिपोर्ट तथा इन सारी रिपोर्ट्स का वृहद संकलन करके, सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसदों, सभी न्यायधीशों, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और लॉ यूनिवर्सिटीज से आए हुए सारे प्रस्तावों व सुझावों को कंसीडर करके, इसको लाइन बाई लाइन पढ़कर, यह विधेयक लेकर आज मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, पाँच न्यायिक एकैडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इस पर सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं, जिनको कंसीडर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, चार साल तक इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ है। मैं जिनमें उपस्थित रहा हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड में की हैं। हमने इसको लाइन बाई लाइन पढ़ा है।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सी.आर.पी.सी. को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 433 धाराएं बचेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आई.पी.सी. को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले 511 धाराएं थीं। इसकी जगह 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। आठ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेन्स एक्ट को रिप्लेस करेगी, इसमें 170 धाराएं होंगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और पाँच धाराएं निरस्त की गई हैं।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था और हमने एडॉप्ट किया था।

यहीं से शुरुआत होती है। आज जब सदन इसे पारित करेगा, तब ये कानून इससे निरस्त होंगे। उन कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे,जिसे मैं जरूर कहना चाहता हूं। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 सालों तक हम किन कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंसियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाई दी ग्राउण्ड रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गजट का जिक्र है, जूरी और बैरिस्टर का जिक्र है, जो हमारे यहां कब के चले गए। इसमें लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर-मैजेस्टी और बाई दी प्रिवी काउंसिल के हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज़ एंड स्ट्रैक्स कंटेन इन दी लंदन गैजेट के आधार पर कानून बनाया गया है। पोजिशन ऑफ दी ब्रिटिश क्राउन का जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन-इंग्लैंड का जिक्र भी 30 से ज्यादा जगहों पर है। हर-मैजेस्टी और डोमिनियन्स के इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र हैं।टोटल 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त करके आज हम एक नया कानून लेकर आए हैं।

अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नये युग को भी जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लोगों की श्रद्धा उठ गई है। लोग कोर्ट में जाने से डर रहे हैं। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्योंकि कोर्ट में जाना itself punishment. इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में घर कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकी को इसके अन्दर समाहित करने का निर्णय किया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, इन सभी को यह कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अदंर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे।

एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट, सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम कुछ करते हैं, अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कान्फ्रेंस से हो सकती है। अब सम्पूर्ण ट्रॉयल, क्रॉस एग्जामिनेशन सहित, वह वीडियो कान्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्षियों की रिकार्डिंग जो करनी है, वह भी होगी। उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली सम्भव होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, यह करने से पहले, इसमें न्याय के बारे में कोई कोताही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के इस विषय के सारे विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा करके, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया है। सर्च और जब्ती के वक्त हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें आती हैं, मेरे यहां रख दिया गया, मेरे यहां था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपल्सरी किया है। वीडियोग्राफी अब केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखी जाएगी, वह वैध नहीं होगी। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम होता है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसीलिए, फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधान मंत्री जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वास्त करना चाहता हूं कि तीन साल के बाद हर साल 33 हजार फॉरेंसिंक साइंस के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स इस देश को मिलने वाले हैं। यह इसलिए किया गया कि यह कानून हम लेकर आने वाले हैं।

मान्यवर, इस कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेश्यो को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए, हमने एक महत्पपूर्ण

प्रावधान किया है कि सात वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिन धाराओं में है, उन सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपल्सरी कर रहे हैं। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एवीडेंस पुलिस के पास होगा, जिससे कोर्ट में दोषियों के बरी होने की सम्भावना बहुत कम हो जाएगी। ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। इस कानून में हमने यह भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वह अप्लाई होगा। मान लीजिए, किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वह कोर्ट नोटिफाई कर सकते हैं, जिला में हो जाएगा तो जिला नोटिफाई कर सकते हैं, एक क्षेत्र हो जाएगा तो क्षेत्र नोटिफाई कर सकता है। अंततोगत्वा, 2027 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को नोटिफाई हो जाएगा।

इसी प्रकार से मोबाइल फॉरेंसिक वाहन का भी एडवांस में अनुभव कर लिया है। दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर किसी को भी सजा होती है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। इसका सफल प्रयोग हमने दिल्ली में कर दिया है। बेंगलुरु में सरकार बदल गई है, भगवान जाने अब क्या होगा। जब हमारी सरकार थी, तब बेंगलुरु में भी इसकी शुरूआत की थी। हमने मोबाइल एफएसएल कन्सेप्ट को लांच किया है और यह सफल कन्सेप्ट है। हर जिले में तीन मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुनाह स्थल पर जाएगी।

नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीरो एफआईआर को आजादी के 75 साल बाद पहली बार लांच किया है। गुनाह कहीं पर भी हुआ है, किसी भी थाने का हो, हिमालय की चोटी या कन्याकुमारी के सागर से भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। पुन: रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना होगा, ई-एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा, जिसके परिवार जन में गिरफ्तारी हुई है, उसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में हैं और इसके लिए हम रेस्पोन्सिबल हैं।

कई बार पुलिस चार-पांच दिन तक पकड़ कर जवाब नहीं देती है। वहां से उनको कोर्ट में जाना है, इसकी जगह अब ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी होगी।

यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कम्पलसरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में विडियो रिकॉर्डिंग भी अब कम्पल्सरी कर दिया गया है। पुलिस को 90 दिन में, जिसने फरियाद की है, उसका स्टेट्स देना कम्पलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसको स्टेट्स देना पड़ेगा और 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेट्स भेजना पड़ेगा।

7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास केस अगर विद्रा करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसे विद्रा नहीं कर पाएगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। पहली बार कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यह कई जगह प्रैक्टिस में है। लेकिन, अब इसके एक्ट के इंट्रोडक्शन कानून से होगा। सालों तक केस चलते नहीं हैं, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। छोटे-मोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को बीस हजार तक गुनाहों में ले लिया गया है। तीन साल तक जिसमें सजा है, वे सारी समरी ट्रायल से हो जाएंगे। एक ही प्रावधान से 40 प्रतिशत केस सेशन कोर्ट से बाहर होकर समरी ट्रायल से समाप्त होंगे।

मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी कहते रहते हैं कि आगे की जांच चालू है, छह साल तक जांच करते रहते हैं। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देख कर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त करके ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।

वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 दिन में देने के लिए कोर्ट बाध्य हो जाएंगे। चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में न्यायाधीश महोदय को अपना फैसला देना पड़ेगा, अब तीन-तीन साल तक फैसला पेन्डिंग नहीं रहेगा। कई सारे ऐसे जज थे, केस की सुनवाई

कर देते थे और फिर बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता था या रिटायर्ड कर जाते थे और फिर से ट्रायल चलता था, अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा, फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर कार्रवाई हो जाएगी। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस अफसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान के कारण उनको सुरक्षा मिली हुई थी कि सरकार की परमिशन के बगैर संज्ञान के चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकता था और सालों-सालों तक कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। इसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंज्वाय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हां या न कह दे, वरना डीम्ड परमिशन मानी जाएगी और ट्रायल को फिक्स किया जाएगा।

मान्यवर, मैंने एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी कि अगर एसपी होने के नाते किसी ने एक केस की जांच की होती है तो डीजीपी रिटायर होने के बाद भी केस चलने पर गवाही देने आता है। हमने इस प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है, वही फाइल देखकर गवाही देगा, पहले की तरह उसे आने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि इसके कारण देर होती थी। हमने बारीकी से देखा कि ट्रायल किस चीज के कारण लेट होता है। सबसे ज्यादा लेट इसलिए होता है क्योंकि वह अब डीजीपी हो गए हैं। डीजीपी साहब के पास समय नहीं है, वह तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट होगी तब आएंगे। इस कारण डेढ़ साल तक गवाही नहीं होती थी, लेकिन, अब किसी भी रिटायर्ड डीजीपी साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है। वहां जो एसपी है, वही फाइल देखेगा, क्योंकि उन डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं होता है, उनको भी तो फाइल देखकर कोर्ट को असिस्ट करना होता है। अब ऐसा नहीं है।

मान्यवर, अब घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान हो गया है। यहां यूपीए वाले नहीं हैं, वरना इस प्रावधान से उनको बहुत दिक्कत आती। हम घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लाए हैं। हम इसमें संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान जोड़ रहे

हैं। अंतर्राज्यीय गैंग और संगठित अपराध के विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। हमने महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए ढेर सारे प्रावधान किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग का बहुत शोर मचा है। हमने इसे केयरफुली देखा है। हम मॉब लिंचिंग के लिए सात साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोवीजन लाए हैं।

स्नैचिंग के लिए, चाहे मोबाइल फोन हो या महिलाओं की चेन हो, कोई प्रावधान नहीं था, इस कारण बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि पहले यह चोरी नहीं मानी जाती थी और स्नैचिंग का प्रावधान भी नहीं था, लेकिन अब स्नैचिंग का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, धारा 324 में कई बार गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मान लीजिए कोई अपाहिज हो, ब्रेन डैड हो लेकिन मृत्यु नहीं होती थी और पूरा पैर या हाथ कट जाता था तो भी सात साल की सजा दी जाती थी। अगर किसी को थोड़ी चोट लगती थी और ठीक होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया तो भी सात साल की सजा दी जाती थी। अब हमने दोनों को अलग कर दिया है। अगर हमेशा के लिए अपंगता आती है या ब्रेन डैड होता है तो सजा को दस साल या आजीवन कारावास में बदल दिया है।

बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा को बढ़ाया गया है, इसे सात से दस साल किया गया है। पहले काफी कम जुर्माना था, अनेक प्रोवीजन्स में जुर्माने को बढ़ाने का काम भी किया गया है। अपराधी, जो भाग जाते थे, उनके लिए भी हम दस साल की सजा का प्रावधान लाए हैं। सजा माफी को पोलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी की सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल

सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को सात साल तक ही माफ कर सकते हैं, सात साल कारावास को तीन साल तक ही माफ कर सकते हैं।

अभी बिहार में कुछ मामले सामने आए हैं, किसी भी गुनाहगार को, किसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा होगी। हम इसका भी प्रावधान लेकर आए हैं।

<u>13.00 hrs</u>

मान्यवर, अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह पर कानून बनाया था। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि राजद्रोह को हम कम्प्लीटली रिपील कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, यानी सबको बोलने का अधिकार है। कानून में इसके साथ-साथ अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चैलेंज करना आदि को कानून के अंदर किसी न तरह से तोड़-मरोड़कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रॉविजन नहीं था। टेरेरिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार मिल रहा है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका ऑर्डर करेगा। कुर्की के ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, बल्कि कोर्ट में सुनवाई के बाद ऐसा होगा।

मान्यवर, अनुपस्थिति में ट्रॉयल का ऐतिहासिक फैसला भी हमने किया है। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है। वह देश छोड़कर भाग गया। आज उस पर ट्रॉयल नहीं होती है। हमने यह तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद ऐसे लोगों को भगोड़ा घोषित करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में ट्रॉयल होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। दुनिया में चाहे वे कहीं भी छिपें, उनको सजा सुनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यदि उस सजा के खिलाफ अपील करनी है, तो न्यायालय की शरण में आएं, अपने-आप को भारतीय कानून की शरण में लाएं, अदालत के सामने जाएं, तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है।

मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बचपन से रहा हूं। मैं राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए हैं। बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आपने देखा होगा कि वहां टूटी-फूटी गाड़ियां, मोटर साइकिल्स, ऑटो आदि सालों तक पड़े रहते हैं। सभी ने ऐसा देखा होगा। वे इसलिए पड़े हैं, क्योंकि कानून में प्रॉविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभालकर रखो। हमने प्रॉविजन कर दिया है कि इसकी वीडियोग्राफी करके, उसकी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में जमा करके फिर इसका निपटारा आप कर सकते हैं। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बनी रहेगी।

मान्यवर, मैंने तो अभी थोड़ा बताया है। इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून में हम लेकर आए हैं। कुल 313 बदलाव हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 सालों के भीतर न्याय मिलेगा। इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया गया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया गया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी गई हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक ओर जहां हम निरस्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान कर रहे हैं।

मान्यवर, एक ओर हमने राजद्रोह को रिपील किया है, तो वहीं दूसरी ओर संगठित अपराध और टेरेरिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मैं मानता हूं कि ये तीनों संहिताएं अपने-आप में पूर्ण हैं, परन्तु सन् 1807, 1878 और 1888 से यह कानून प्रचलन में है। कोई भी व्यक्ति, डिपार्टमेंट या व्यक्तियों का समूह इसको कम्प्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए मैं इस कानून को गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष-विपक्ष के सभी संसद सदस्य इस पर अपने विचार रखें। इस पर काफी अच्छी तरह से सोच-विचार हो, बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें। हम

इसे लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, ताकि लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां करे। कुल मिलाकर यह सब होने के बाद और इस विधेयक में उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन में आऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं विधेयक को पुर:स्थापित करूं तथा यह भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए।

मान्यवर, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल कुछ पूछना चाहती हैं। इनको एक मिनट पूछ लेने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो लोग जेल की सजा काटने के बावजूद अभी भी जेल में 30-30 सालों से हैं, क्या उनके लिए इसमें कुछ प्रावधान है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर यह हो रहा है कि घर-घर तक नशे पहुंच रहे हैं। जब घर वाले किसी को इस बारे में बताते भी हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है?

श्री अमित शाह: जहां तक माफी का सवाल है, माफी अपराध के आधार पर देने का सम्पूर्ण वैधानिक प्रावधान है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, माफी नहीं, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है?

श्री अमित शाह: जहां तक सजा पूरी कर ली है और उसको छोड़ने की बात है तो सजा पूरी नहीं होती है, जन्मतीप होती है और अंतिम सांस तक होती है। इसको चौदह साल में करने का अधिकार जेल के अधिकारी के पास होता है। उस अधिकार के उपयोग के लिए भी गुनाह को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am very grateful to witness history in the making. For the last many years, as a journalist by profession, I have been repeatedly asking for change the IPC and also CrPC. During my last 25 years in this House, during Atal ji's Prime Ministership, we had also deliberated on change of the Indian Evidence Act. Why is it necessary? To a certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani ji had assured this House that they would be working on change of this Act, and today this is listed in the Supplementary List of Business, and the hon. Home Minister has brought in three Bills together to totally overhaul our law and justice system.

I would like to mention here one thing. Of course, it is mentioned as IPC in the Statement of Objects and Reasons. What does IPC stand for? It was not actually Indian Penal Code. Originally, it was Irish Penal Code, and Macaulay is the father of this IPC. A Law Committee was formed by the British Government in 1834. That means, it was formed during the East India company. In 1856, the British Crown came to power in India, and in 1860, this was implemented by just removing the word 'Irish' and putting in the word 'Indian' in the IPC. So, it was more like subjugation of the subjects by the ruling power.

Now, the hon. Home Minister has enunciated certain points, and it is going to the Standing Committee. Similar is the case about the Code of Criminal Procedure. The Government and the society have been feeling for quite some time, that contemporary needs should also be looked into, and that

has been there. In the Indian Evidence Act of 1872. A comprehensive review of our criminal law was necessary, which has been done in this draft Bill.

I believe the Standing Committee on Home Affairs will go into all those details, and as the hon. Home Minister has very rightly mentioned, it is people-centric and not Government-centric or Administration-centric. In that respect, I believe that this is a good beginning. I am really grateful that I, including my party Members and perhaps all of us, are witness to history in making because after many years our wishes are being fulfilled. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन विधेयकों को गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए।

13.10 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की आज अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख दें।

(i) Regarding fixation of MSP for mangoes

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): In Krishnagiri District, Tamil Nadu more than 6000 farmers are cultivating mangoes and thousands of people are involved indirectly in the activity. More than 10 Lakh tons of mangoes are produced every year. We have more than 50 Mango pulp manufacturing food processing industries there. More than 3.5 lakh tons of mango pulps are produced and transported throughout India and are being exported globally every year. Government of India from early 80's are supporting the food processing industries in crores as subsidies, But the plight of Mango growers are very pathetic. Industries make a cartel and squeeze the farmers by fixing throwaway purchase prices in the seasons and for the farmers to sell their sweat and blood even for 10 Rs/kilo of mangoes. In the same time during off season, the same industries buy mangoes even at 80 Rs/Kg that means even if they buy at Rs 80/kilo also they can make profit out of it. This all happens with the farmers because of non-availability of MSP for mangoes. I request the Ministry to kindly announce MSP price for mangoes as per the variety and

---

* Treated as laid on the Table.

save the farmers from distress and establish cottage industries for manufacturing the by-products including cold storages.

(ii) Need to establish ethical guidelines and legal framework in the deployment of Artificial Intelligence

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Today, we witness remarkable advancements in Artificial Intelligence (AI), that holds immense promise for transforming various industries and improving lives. India, with its vast talent pool, is about to embrace AI-driven innovation to create art, enhance digital services and solve complex problems. However, with this tremendous power comes an equally significant responsibility to regulate its use to ensure fairness and mitigate potential misuse. In industries such as customer service, AI-powered chatbots have revolutionized interactions, offering personalized and efficient support to Indian consumers. This technology has improved accessibility and convenience, but we must remain vigilant about AI-generated misinformation that could deceive customers or spread false narratives.

India faces the threat of deep fake technology, a stark reminder of the potential for AI misuse. Fraudsters exploit this technology to create fake videos or audio impersonating individuals, leading to identity theft or reputational damage. We must safeguard against these risks. The need for responsible regulation is not about stifling innovation, but rather ensuring that AI serves as a force for good. By establishing ethical guidelines and legal frameworks, we can foster transparency, accountability, and fairness in AI deployment. Striking the right balance will encourage innovation while protecting our citizens' privacy, security, and fundamental rights.

(iii) Regarding sanctioning of fly ash by NLC India Limited under CSR activities to Perambular Parliamentary Constituency for manufacturing fly ash bricks for construction of houses under PMAY-G

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): PMAY-G aims at providing a PUCCA house to all houseless householder and those households living in Kutcha and dilapidated house, by 2022.PMAY-G selects beneficiary using housing deprivation parameters in the socio-economic and caste census (SECC), 2011. The minimum size of the House is 25 SQ.MT. The Government unit assistance is Rs. 1.20 Lakh. The cost of unit assistance is shared between central and State Government in the ratio 60:40. Apart from this, the State Government is providing Rs. 50,000 as roofing cost and Rs 70,000 as additional roofing cost. Cement was supplied at highly subsidized cost through TANCEM. Steel was procured in bulk and supplied to the beneficiary. Even after these supports huge number of beneficiaries are not in a position to construct house mainly because of inflated material cost. The Government of India's vision of "Housing for all by 2022" remains unachieved. In order to achieve the goal of housing for all, it has been planned to produce fly ash bricks through self-help group members and supply to the deprived housing beneficiaries at subsidized cost. A conservative estimate prepared by my Constituency district administration engineers requires 16 crore bricks to construct 23323 houses. Hence, I request the Government of India, Ministry of Coal and Mines to pass necessary order to the NLC India Limited to sanction

1000 metric tonnes of fly ash every month for 3 years period at free of cost under CSR activities to my Perambalur Parliamentary Constituency.

(iv) Regarding alignment of Thoppur Ghat stretch in Dharmapuri to Salem Section of NH 44 in Tamil Nadu

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): I would like to raise the important issue which concerns people's life. It’s about frequent accidents and fatalities happening in Thoppur ghat stretch of Dharmapuri-Salem section. The concerned stretch of NH 44 from KM 158/500 to KM 164/900 is also covered under black spot TN-21. Subsequently, improving the alignment of the above mentioned Thoppur ghat stretch was proposed. DPR and estimation has also been prepared, yet this has not been materialised. The alternate alignment to eliminate dangerous curve on this section is much needed to prevent loss of human life. Hence, I urge upon the Hon’ble Minister of Road Transport and Highways to direct the concerned officials to expedite the proposed alignment of Thoppur ghat stretch in Dharmapuri to Salem section of NH-44 to curb accidents and fatalities.

(v) Regarding high price of LPG cylinder refills and promotion of other clean energy resources for cooking

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The Pradhan Mantri Ujjwala Yojna (PMUY) has been a landmark victory, greatly improving the lives of our mothers and sisters by eliminating their encounter with toxic effluents from burning firewood for cooking. However, the gains stand threatened if beneficiaries don't opt for LPG refills. Annual refills of LPG cylinders by beneficiaries have steadily declined and has averaged around 3 in the preceding four years. Excluding policy actions such as (i) three free cylinders under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna and (ii) INR 200 subsidy on each cylinder, the average falls below 3. In 2021-22, out of 9.34 crore PMUY beneficiaries, nearly 2 crore (21.4%) took one or no refill. The primary reason is the 60% rise in cylinder prices since 2019, making it prohibitive. The Covid pandemic-induced inflation and geopolitical situation have further compounded the price rise. To combat this, I urge the Government to undertake the following pragmatic steps. In the medium-term, bear the increased subsidy cost on cylinders due to high inflation. In the long-term, promote electric cooking and allocate budget for renewable energy sources and capacity building. This will aid India’s net-zero emission target and inter alia support government's clean air endeavors; while successfully transitioning to clean cooking methods.

(vi) Regarding climate change

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): The latest report of IPCC has predicted the global sea level to rise about 1m by 2100, which would result in complete submersion of Mumbai and Kolkata. Experts also predict that parts of Mumbai, Kolkata, Surat, Chennai would get submerged by 2050. This would be further supplemented by an increasingly unpredictable occurrence of untimely rains, floods, cyclones and other hazards. This is an existential crisis that we are facing. Since past years, increasing number of untimely rains have resulted in wiping out of complete villages, which has not only resulted in loss of life, property but also loss of livelihood. It's no longer just about curbing emissions, government must develop a mechanism that would focus on environmental changes. Climate change isn't just caused by emissions by India. Government needs to take steps to dedicate its international diplomatic capital towards convincing and persuading to take climate change seriously towards global warming. The environment isn't a commodity that we have inherited, but a resource that we have borrowed from next generation. It is our responsibility to provide our coming generation with a better world, so I urge upon the Government to declare a climate emergency all over the country, and formalize constructive plan to overcome worst situation of climate change.

(vii) Need to remove income ceiling for SCs/STs for availing the benefits of Government Schemes

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): देश के कर्णधार नेताओं ने दलित सामाज को आजादी मिलने के 10 वर्षों के अन्दर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के द्वारा सामान्य वर्गों के बराबर लाने का वायदा किया था। परन्तु आज आय सीमा का बंधन लगाकर एससी/एसटी वर्ग के विकास कार्यों में बाधा डाल दी गयी है। आज केवल 5 प्रतिशत लोगों की ही स्थिति सुधर पाई है जबकि 95 प्रतिशत लोग आज भी दो समय का भोजन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। सवर्ण समाज के लिए आय सीमा 8 लाख रूपये और एससी/एसटी वर्गों के लिए आय सीमा 3 लाख रूपये है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी आय सीमा के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जब सवर्ण समाज की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये रखी गयी थी, उसी तरह एससी/एसटी वर्गों के विकास से संबंधित आय सीमा 8 लाख रूपये वार्षिक ही कर देनी चाहिए, किन्तु नहीं की गयी है। मेरी मांग है कि जिस प्रकार से Free and Compulsory Education Act, 2009 में एस.सी.एस.टी वर्गों को Disadvantaged Group माना गया है, ठीक उसी प्रकार से कम से कम 20 वर्षों के लिए एस.सी./एस.टी. वर्गों को उनके विकास में बाधा बनी आय सीमा को तुरन्त भारत सरकार की सभी योजनाओं से हटाया जाए।

(viii) Regarding steps taken to address the problem of shortage of drinking water in Samastipur and Darbhanga

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): समस्तीपुर संसदीय के क्षेत्र अंतर्गत समस्तीपुर एवं दरभंगा जिले में भू-जल का जल स्तर सामान्य से नीचे जा चुका है। जिस कारण जनता को आए दिन पेयजल की विकट समस्या से जूझना पड़ता है। विशेष कर दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखण्ड एवं बहेरी प्रखण्ड और समस्तीपुर के विभिन्न प्रखंडों –कल्याणपुर, पूसा, रोसड़ा, सिंघीया, शिवाजीनगर, वारिसनगर, खानपुर, समस्तीपुर, ताजपुर में इस समस्या का प्रभाव है। मैं सरकार से इस विकट समस्या के समाधान हेतु इन क्षेत्रों में कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो, तो केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर एक साथ विचार कर लिया जाए? यदि सभा की सहमति हो, तो इन विधेयकों को बिना बहस के ही सभा के निर्णय के लिए रख दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

13.12 hrs

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* Moved with the recommendation of the President.

<u>खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

13.12 ½hrs

INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move*:

"That the Bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

---

* Moved with the recommendation of the President.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>13.14 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Thirteen of the Clock.

13.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Thirteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

VALEDICTORY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। यह सत्र 20 जुलाई, 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमनें 17 बैठकें कीं, जो लगभग 44 घंटे और 15 मिनट तक चलीं। सत्र के दौरान श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर दिनांक 08.08.2023, 09.08.2023 और 10.08.2023 को चर्चा हुई। इस पर 19 घंटे और 59 मिनट तक चर्चा हुई और चर्चा में कुल 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 और अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023।

सत्र के दौरान 50 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। दिनांक 09 अगस्त, 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। नियम 377 के अधीन 369 मामले लिए गए। लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने सभा में 65 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। निदेश 73क के अधीन 45 वक्तव्य, सरकारी कार्य में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 3 वक्तव्य, नियम 372 के अधीन एक 'सूओ मोटो स्टेटमेंट' तथा उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य सहित कुल 50 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान, कुल 1209 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोक सभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता 45 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान, गैर-सरकारी सदस्य कार्य के संबंध में शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित कुल 134 विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

माननीय सदस्यगण, 31 जुलाई, 2023 को सभा द्वारा मलावी गणराज्य की नेशनल असेम्बली की अध्यक्ष महामहिम कैथरिन गोटानी हारा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए मलावी के एक शिष्ट मंडल का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों तथा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तथा विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गयी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

… (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, you did not allow me to speak. So, I will walk out.

<u>13.34 hrs</u>

At this stage, Shri Simranjit Singh Maan left the House.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे 'वन्दे मातरम्' की धुन के लिए अपने-अपने स्थानों पर खड़े हों।

<u>13.35 hrs</u>

<u>NATIONAL SONG</u>

The National Song was played.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

<u>13.37 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned sine die.

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)